


में ल्यलत है। पत्रावली वाली दस्ता
नामिल रिपोर्ट दि. 24.6.24 को पेश
होवे।



(Reader)

24.6.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित। वकील वाली न्यायालय
द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से
संतुष्ट हैं। एवं आगे कोई कार्यवाही
से संतुष्ट नहीं चाहते हैं। वकील वाली
द्वारा पत्रावली नोट-प्रेस करने का


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा



निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट प्रेषित
किये जाने के आधार पर वाद खारिज
किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा